

डिक्री बमूकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 63/2018

वादी

1. किशोरसिंह पुत्र दुलसिंह जाति राजपूत निवासी बोसेरी तहसील जायल

बनाम

प्रतिवादीगण

तेजकंवर के विधिक वारिसान

1. सुल्तानसिंह पुत्र तेजकंवर
2. महताबसिंह पुत्र तेजकंवर
3. छगनकंवर पुत्री तेजकंवर
4. उच्चछब कंवर पुत्री तेजकंवर
5. कमल कंवर पुत्री तेजकंवर
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह

दावा अधीन धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति -

1. वादी 1 की ओर से श्री शिवकुमार पारासर एडवोकेट।
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से श्री राजेन्द्रसिंह ढाका एडवोकेट।

: : डिक्री आदेश :



यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हमजरी वादी के अधिवक्ता श्री शिवकुमार पारासर व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह ढाका एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादी संख्या 1 किशोरसिंह के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा बोसेरी में खेत खसरा नम्बर 49 रकबा 11.2907 हैक्टियर पूरा खेत रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 क्रमशः सुल्तानसिंह, महताबसिंह, छगनकंवर, उच्चछबकंवर, कमलकंवर के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें। नजरीनक्सा निर्णय एंव डिक्री का भाग रहेगा।
3. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर
(वि.डी.ओ.) जायल